(ङ) क्या यह भी सच है कि सुपर बाजार प्रशासन ने सरकार द्वारा पहले घोषित प्रसुविधाओं से अपनी महिला कर्मचारियों को वंचित रखा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (कमालु द्दीन अहमद) : (क) से (ग) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है, जिसमें सुपर बाजार में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या, उनकी श्रेणी, नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति और नियुक्ति की तारीख दी गई है (देखिए परिशिष्ट 169, अनुपत्र संख्या 1) अनुसूचित जाति के 37 और अनुसूचित जनजाति के 8 कर्मचारी हैं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का रिकार्ड नहीं रख रहे हैं।

(घ) जी नहीं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों से कम वेतन नहीं दिया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**Dearness Allowances to employees of Super**

254. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Dearness Allowance' to Super Bazar Employees has still not been paid by the General Manager despite jodgement of the court given more than 12 months back;

(b) whether it is also a fact that a sum of Rs. 85,000 has to be paid on this account and this amount have been utilised by the General Manager for his personal office and residential furnishing purpose;

(c) if so, the reasons therefor and by when payment of D.A. is to be released by the General Manager;

id) the steps taken or proposed to be taken by Government against the General Manager for misuse of fund ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MFNISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFADR.S AND PUBLIC DISRTRI BUTION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Super Bazar has reported that *96* employees approached Labour Court for computing the amount of D.A. payable in accordance with Baweja Award but the Labour Court uphed the claims of only 78 employees of the store. The arrears of D.A. were paid to concerned 78 employees in October, 1992.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

**सुपर बाजार में मिलावटी और गलत ब्रांड की वस्तुएं**

255. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार द्वारा बेची जा रही अनेक वस्तुएं मिलावटी और गलत ब्रांड की पाई गई हैं;

(ख) दिल्ली प्रशासन को इस संबंध में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) दिल्ली प्रशासन ने उन नमूनों के बारे में क्या कार्यवाही की है जिन्हें मिलावटी और गलत ब्रांड का पाया गया;

(घ) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, जो मिलावटी और गलत ब्रांड की पायी गई;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक माह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन सुपर बाजार में कितने नमूने लिये गए;

(च) इनमें से कितने नमूने मिलावटी पाए गए; और

(छ) उन नमूनों के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत जांच पूरी हो जाने के बाद तथा जहां नमूने अपमिश्रित/गलत ब्रांड वाले पाये जाते हैं, कार्रवाई की जा रही है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि नीचे दी गई वस्तुएं अपमिश्रित तथा गलत ब्रांड वाली पाई गई थीं जिनका ब्यौरा निम्नवत् है :—

1991 शून्य

1992 (i) काली मिर्च साबत (अपमिश्रित)

(ii) कोकोनट कुकीज गलत ब्रांड

1993 (i) सौंफ—लखनऊ (अपमिश्रित)

(ii) चाट मसाला (गलत ब्रांड)

(iii) एग नूडल्स (गलत ब्रांड)

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा यथा सूचित गत तीन वर्षों के दौरान माहवार लिए गए तथा अपमिश्रित/गलत ब्रांड वाले पाए गए नमूनों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)

(छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि 1991 में लिए गए नमूने शुद्ध घोषित किए गए थे। 1992 में लिए गए नमूनों के बारे में अपमिश्रित नमूने के संबंध में एक मामला अदालत में चलाया जा चुका है। गलत ब्रांड वाले नमूने के संबंध में मामला जांच के बाद समाप्त कर दिया गया है। 1993 के दौरान लिए गए नमूनों के संबंध में, तीनों ही मामलों में जांच चल रही है और एक नमूना शुद्ध पाया गया है।

**विवरण**

**गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार से लिए गए नमूनों का ब्यौरा**

| वर्ष | माह | लिए गए नमूनों की संख्या | अपमिश्रित/गलत ब्रांड वाले पाए गए नमूनों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1991 | अगस्त | 1 | शून्य |
| 1992 | सभी दिसंबर में | 4 | एक नमूना अपमिश्रित पाया गया और अन्य गलत ब्रांड वाला घोषित किया गया। |
| 1993 | सभी मई में | 4 | एक नमूना अपमिश्रित तथा अन्य दो गलत ब्रांड वाले घोषित किए गए। |